रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1975/माघ 12, 1896

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1975/MAGHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

EXTRAORDINARY NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February 1975

S.O. 62(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry, S.R.O. 241, dated the 25th January, 1955.

[No. F. 10(2)-IT/74-I]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारी विभाग)

असाधारण अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवर , 1975

का० आ० 62(अ).—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत

सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि०आ० 241 तारीख 25 जनवरी, 1955 को विखंडित करती है ।

[सं० फा० 10(2)-आई०टी०/74-1]

S.O. 63(E).—In exercise of the powers conferred by section 17, read with section 16, of the Forward Contracts (Regulation), Act, 1952, (74 of 1952), the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any forward contract for the sale or purchase of any of the goods specified in the Schedule below in any place in India and (fixes, under clause (a) of the said section 16, the rate prevailing at the time at which the forward (market in the said goods closed on the date of this notification, or, if there (was no trading on that day, on the last preceding date of trading, as the rate at which any such (forward contract entered into on or before the date of this notification and remaining to be performed after the said date shall be deemed to be closed.

THE SCHEDULE

1. Karanja, 2. Karanja Oil, 3. Kusumseed, 4. Kusum Oil, 5, Sal seed, 6. Sal Oil. 7. Khakan Seed, 8. Khakan Oil, 9. Kokum seed, 10. Kokum Oil, 11. Nahor seed, 12. Nahor oil, 13. Undi seed, 14. Undi oil, 15. Rice Bran, 16. Rice Bran Oil, 17. Watermelon seed, 18. Watermelon Oil, 19. Tobacco seed, 20. Tobacco seed oil, 21. Sunflower seed, (22. Sunflower Oil, 23. Niger seed, 24. Niger Oil.

[No. F. 10(2)-IT/74-II]

का०आ० 63(अ).—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये घोषणा करती है कि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना भारत के किसी स्थान पर नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी वस्तु के विक्रय या क्रय के लिये कोई अग्रिम संविदा नहीं करेगा और उक्त धारा 16 के खंड (क) के अधीन उस दर की जो उस समय जिस समय इस अधिसूचना की तारीख को उक्त वस्तुओं का वायदा बाजार बंद हुआ था या यदि उस दिन कोई व्यापार नहीं हुआ था तो व्यापार की अन्तिम पूर्ववर्ती तारीख को विद्यमान थी ऐसी दर के रूप में नियत करती है जिस दर पर कोई ऐसी अग्रिम संविदा बंद की गई समझी जायगी जो इस अधिसूचना की तारीख को या उसके पूर्व की गई थी और उक्त तारीख के पश्चात जिसका पालन किया जाना था ।

अनुसूची

1. करंजा 2. करंजा का तेल 3. कुसुम बीज 4. कुसुम का तेल 5. साल बीज 6. साल का तेल 7. खाकन बीज 8. खाकन का तेल 9. कोकुम बीज 10. कोकुम का तेल 11. नाहोर बीज 12. नाहोर का तेल 13. ऊंडी बीज 14. ऊंडी का तेल 15. चावल की भूसी 16. चावल की भूसी का तेल 17. तरबूज के बीज 18. तरबूज का तेल 19. तरबूज का बीज 20. तम्बाकू के बीज का तेल 21. सूरजमुखी के बीज 22. सूरजमुखी का तेल 23. तिल्ली के बीज 24. तिल्ली का तेल ।

[सं० फा० 10(2) आई०टी०/74-II]

S.O. 64(E).—Whereas forward contracts for the sale or purchase of the goods specified in the Schedule below in any place in India have been prohibited by the notification of Government of India, in the Ministry of Industry and Civil Supplies S.O. No. 63(E) dated the 1 February, 1975.

And whereas the Central Government is of opinion that in the interest of the trade and in the public interest, it is expedient to regulate and control non-transferable specific delivery contracts in respect of the said goods;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Fordward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), the Central Government

hereby declares that the provisions of sub sections (1) and (2) of section 17 of the said Act shall apply to non-transferable specific delivery contracts in respect of the said goods in the whole of India.

THE SCHEDULE

1. Karanja, 2. Karanja Oil, 3. Kusumseed, 4. Kusum Oil, 5. Sal seed, 6. Sal Oil, 7. Khakan seed, 8. Khakan Oil, 9. Kokum seed. 10. Kokum Oil, 11. Nahor seed, 12. Nahor Oil, 15. Undi seed, 14. Undi Oil,15. Rice Bran, 16. Rice Bran Oil, 17. Waermelon seed, 18. Watermelon Oil, 19. Tobacco seed, 20. Tobacco seed Oil, 21. Sunflower seed, 22. Sunflower Oil, 23. Niger seed, 24. Niger Oil.

[No. F. 10(2)-IT/74-III]

का०आ० 64(अ).—यतः भारत में किसी स्थान पर नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय या क्रय के लिये अग्रिम संविदायें भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 63 (अ) तारीख 1 फरवरी 1975 द्वारा प्रतिषिद्ध कर दी गई हैं ;

और यत. केन्द्रीय सरकार की राय है कि व्यापार के हित में और लोक हित में उक्त वस्तुओं की बाबत अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को विनियमित और नियंत्रित करना समीचीन है ;

अतः अब केन्द्रीय, सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के उपबंध उक्त वस्तुओं की बाबत अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. करंजा 2. करंजा का तेल 3. कुसुम बीज 4. कुसुम का तेल 5. साल बीज 6. साल का तेल 7. खाकन बीज 8. खाकन का तेल 9. कोकुम बीज 10. कोकुम का तेल 11. नाहोर बीज 12. नाहोर का तेल 13. ऊंडी बीज 14. ऊंडी का तेल 15. चावल की भूसी 16. चावल की भूसी का तेल 17. तरबूज के बीज 18. तरबूज का तेल 19. तम्बाकू के बीज 20. तम्बाकू के बीज का तेल 21. सूरजमुखी के बीज 22. सूरजमुखी का तेल 23. तिल्ली के बीज 24. तिल्ली का तेल ।

[सं० फा० 10(2)-आई० टी०/74-III]

S.O. 65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Forward contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952) as applied to non-transferable specific delivery contracts in respect of goods mentioned in the Schedule below, by the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies S.O. No. 64(E), dated the 1st February, 75, the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of the said goods in the whole of India except the following classes of such contracts:

(i) Any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of the said goods which is performed wholly by actual tendering of goods and the payment of the full price therefor; and (ii) any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of the said goods under which actual tendering of goods becomes impossible or unlawful owing to circumstances over which the contracting parties have no control.

THE SCHEDULE

1. Karanja, 2. Karanja Oil, 3. Kusumseed, 4. Kusum Oil, 5. Sal seed, 6. Sal Oil, 7. Khakan seed, 8. Khakan Oil, 9. Kokum seed, 10. Kokum Oil, 11. Nahor seed, 12. Nahor Oil, 13. Undi seed, 14. Undi Oil, 15. Rice Bran, 16. Rice Bran Oil, 17. Watermelon seed, 18. Watermelon Oil, 19. Tobacco seed, 20. Tobacco seed Oil, 21. Sunflower seed, 22. Sunflower Oil, 23. Niger seed, 24 Niger Oil.

[No. F. 10(2)-IT/74-IV]

का० आ० 65(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 64(अ) तारीख 1 फरवरी, 1975 द्वारा नीचे की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं की बाबत अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को यथा लागू अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, घोषणा करती है कि कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना, उक्त वस्तुओं के विक्रय या क्रय के लिये कोई अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, ऐसी संविदाओं के निम्नलिखित वर्गों को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत में नहीं करेगा :—

(i) उक्त वस्तुओं के विक्रय या क्रय के लिये कोई ऐसी अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, जिसका पूर्णतः पालन, माल वस्तुतः निविदत करके और उनकी पूरी कीमत का संदाय करके किया जाता हो ; और

(ii) उक्त वस्तुओं के विक्रय या क्रय के लिये कोई ऐसी अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, जिसके अधीन माल का वस्तुत निविदान ऐसी परिस्थितियों के कारण असंभव या विधि-विरुद्ध हो जाता है, जिन पर संविदाकारी पक्षकारों का कोई नियंत्रण न हो ।

अनुसूची

1. करंजा 2. करंजा का तेल 3. कुसुम बीज 4. कुसुम का तेल 5. साल बीज 6. साल का तेल 7. खाकन बीज 8. खाकन का तेल 9. कोकुम बीज 10. कोकुम का तेल 11. नाहोर बीज 12. नाहोर का तेल 13. ऊंडी बीज 14. ऊंडी का तेल 15. चावल की भूसी 16. चावल की भूसी का तेल 17. तरबूज के बीज 18. तरबूज का तेल 19. तम्बाकू के बीज 20. तम्बाकू के बीज का तेल 21. सूरजमुखी के बीज 22. सूरजमुखी का तेल 23. तिल्ली के बीज 24. तिल्ली का तेल ।

[सं० फा० 10(2)-आई०टी०/74-IV]

S.O. 66(E).—Whereas forward contracts for the sale or purchase of castor oil in any place in India have been prohibited by the notification of the Government of India, in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 242, dated the 25th January, 1955;

And whereas the Central Government is of opinion that in the interest of the trade and in the public interest, it is expedient to regulate and control non-transferable specific delivery contracts in respect of castor oil;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), the Central Government hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 17 of the said Act shall apply to non-transferable specific delivery contracts in respect of castor oil in the whole of India.

[No. F. 10(2)-IT/74IV]

का० आ० 66(अ).—यतः भारत में किसी स्थान पर एरण्ड के तेल के विक्रय या क्रय के लिये अग्रिम संविदायें, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 242, तारीख 25 जनवरी, 1955 द्वारा प्रतिषिद्ध कर दी गई थीं ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि व्यापार के हित में और लोक हित में एरण्ड के तेल की बाबत अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को विनियमित और नियंत्रित करना समीचीन है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के उपबंध एरण्ड तेल की बाबत अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे।

[सं० फा० 10(2) आई० टी०/74-V]

S.O. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), as applied to non-transferable specific delivery contracts in respect of castor oil by the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies S.O. No. 66(E), dated the 1st February, 75, the Central Government hereby declares that no person shall, save with the permission of the Central Government, enter into any non-transferable specific delivery contracts for the sale or purchase of castor oil in the whole of India except the following classes of such contracts namely:—

(i) Any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of castor oil which is performed wholly by actual tendering of such oil and the payment of full price therefor, and (ii) any non-transferable specific delivery contract for the sale or purchase of castor oil under which actual tendering of oil becomes impossible or unlawful owing to circumstances over which the contracting parties have no control.

[No. F. 10(2)-IT/74-VI]

A. F. COUTO, Jt. Secy.

का० आ० 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 66 (अ) तारीख 1 फरवरी, 1975 द्वारा एरण्ड तेल की बाबत अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को यथा लागू अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, घोषणा करती है कि कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना, एरण्ड तेल के विक्रय या क्रय के लिये कोई अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, ऐसी संविदाओं के निम्ननिखित वर्गों को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत में नहीं करेगा:—

(i) एरण्ड तेल के विक्रय या क्रय के लिये कोई ऐसी अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा, जिसका पूर्णतः पालन, ऐसे तेल के वस्तुतः निविदत करके और उनकी पूरी कीमत का संदाय करके किया जाता हो, और

(ii) एरण्ड तेल के विक्रय या क्रय के लिये कोई ऐसी अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदा जिसके अधीन तेल का वस्तुतः निविदान ऐसी परिस्थितियों के कारण असंभव या विधि-विरुद्ध हो जाता है, जिन पर संविदाकारी पक्षकारों का कोई नियंत्रण न हो।

[सं० फा० 10(2)-आई०टी०/74)-VI]

ए० एफ० कोटो, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975